

प्रा.पत्र मुत.(मुत्तकली) संख्या- 24/22

आरसीएमएस संख्या 2022/152

बउनवानी :-1. किरोडी लाल पुत्र श्रीया मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर

2. रमेश पुत्र श्रीया मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर
3. रामभजन पुत्र श्रीया मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर
4. गिराज पुत्र मंगल मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर
5. कुम्हेर पुत्र हरि मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर
6. जगदीश पुत्र मिश्रा मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर
7. गोकुल पुत्र मिश्रा मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर
8. छुट्टन पुत्र मिश्रा मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर
9. सुरेश पुत्र मिश्रा मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर

बनाम

1. दिनेश पुत्र चम्पी जाति मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर
2. उपजिला कलेक्टर, वजीरपुर

(मुत्तकली प्रार्थना पत्र विरुद्ध उपजिला कलेक्टर वजीरपुर मे जैरकार दावा संख्या 481/2022 उनवानी किरोडी लाल बनाम दिनेश वगै. अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थित: 1. श्री इन्साफ अली
2. श्री धीरेन्द्रपाल सिंह

वकील प्रार्थी
वकील अप्रार्थी

दिनांक 11.01.2023

:- निर्णय :-

वकील प्रार्थी ने न्यायालय उपजिला कलेक्टर वजीरपुर में विचाराधीन प्रकरण दावा संख्या 481/2022 उनवानी किरोडी लाल बनाम दिनेश वगै. अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि प्रार्थीगण ने एक दावा व टी.आई. प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि हाल ख.न. 1105 रकबा 0.14 है0, 1372 रकबा 1.03 व 1376 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम पिलोदा पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त आराजी के कुछ हिस्से पर अप्रार्थी संख्या 1 ने बिना किसी अधिकार के ताकत के बल पर प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि पर पुख्ता निर्माण कार्य करने पर आमदा होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से अन्तरित स्थगन प्राप्त किया हुआ है किन्तु अब अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से साठ गांठ कर उक्त प्रकरण को अपने पक्ष मे करवाने पर आमदा है। उक्त प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 1 न्यायालय से मनचाही तारीख पेशी अपने कहे अनुसार ले लेता है इसलिए प्रार्थीगण के मन में संदेह पैदा होता रहा है तथा दिनांक 4.8.2022 को प्रार्थीगण अपने मुकदमे की पैरवी हेतु न्यायालय मे गए तो प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को अप्रार्थी संख्या 2 के चैम्बर से बाहर निकलते हुए देखा तथा थोड़ी देर बाद अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थीगण के उक्त प्रकरण मे सुनवायी कर दिनांक 25.8.2022 को पत्रावली वास्ते बहस आदेश नियत की गयी है किन्तु प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण मे पीठासीन अधिकारी महोदय से न्याय मिलने की बिल्कुल उम्मीद शेष नही होने के कारण प्रार्थी का मुत्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकारमाया जाकर

.....(1).....

सुरेश कुमार ओला
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उपजिला कलेक्टर वजीरपुर के न्यायालय में जैरकार उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।


विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है क्योंकि विवादित भूमि गै0मु0आबादी है जिसपर मुझ अप्रार्थी सहित अन्य 20-25 व्यक्तियों के मकानात बने हुए है तहसीलदार वजीरपुर की मौका दिनांक 17.8.2022 के अनुसार भी ख0न0 1372 रकबा 1.03 है0 पर लगभग 70 वर्षों से आबादी बसी हुई है। प्रार्थी किरोडी लाल वर्तमान में सरपंच है तथा राजनैतिक रंजिश के कारण मुझ अप्रार्थी को परेशान करने की गरज से अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश कर निर्माण कार्य पर रोक का स्थगन प्राप्त कर प्रकरण में देरी करने की गरज से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

उपजिला कलेक्टर वजीरपुर की ओर प्राप्त टिप्पणी में पीठासीन अधिकारी द्वारा अंकित किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 26.4.2022 को दावा व टी.आई. की पत्रावली न्यायालय में प्रस्तुत की जाने पर दिनांक 26.4.2022 को स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना जाकर ख0न0 1105 रकबा 1.14 है0, ख0न0 1372 रकबा 1.03 है0, ख0न0 1376 रकबा 0.13 है0 पर आगामी तारीख पेशी तक निर्माण कार्य नहीं करने बाबत अप्रार्थी को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया दिनांक 21.7.2022 को प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया उसके बाद पत्रावली वास्ते तनकीयात दिनांक 4.8.2022 नियत की गयी तथा दिनांक 25.8.2022 को मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना बताया गया है। उक्त प्रकरण के निर्णय के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा कयास के आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया गया है पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में अप्रार्थी का कोई आना जाना नहीं है। पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अनुसार ही कानूनी तथ्यों को मध्येनजर रखकर न्यायसंगत आदेश प्रतिपादित किया जाता है। यदि उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल कर दिया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

वकील उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपजिला कलेक्टर वजीरपुर के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर नहीं होती है। प्रार्थी द्वारा उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र महज प्रकरण के निस्तारण में देरी करने की दृष्टि से निराधार तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि किसी भी पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण का निस्तारण साक्ष्य, सबूतों एवं दस्तावेजात के आधार पर किया जाता है किसी के दबाव में नहीं किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण की विधिवत सुनवायी की जा रही है इसलिए उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.1.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर